रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2013/ज्येष्ठ 16, 1935
No. 127] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2013/JYAISTHA 16, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 जून, 2013
जांच शुरूआत

विषय : कोरिया आर. पी. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एसीटोन के आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा (एस.एस.आर.) पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 15/13/2013–डीजीएडी :–यतः, वर्ष 1995 तथा उसके पश्चात् समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय–समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने कोरिया आर. पी.(जिसे एतद्पश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एसीटोन'' (जिन्हें एतद्पश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर मूल जांच में निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी।

2. यतः, मूल जांच में संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी द्वारा दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/13/2006–डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना जारी की गई थी और केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 10 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 75/2008–सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया था।

3. यतः, मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) ने, अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से, प्राधिकारी के समक्ष, कोरिया आर.पी. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की निरन्तरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का आरोप लगाते हुए एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां सेनिर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरन्तरता बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए उसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

4. निर्णायक समीक्षा के लिए यह आवेदनपत्र मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एच ओ सी एल) द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया था। इस आवेदनपत्र का मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया लिमिटेड ने समर्थन किया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आवेदकगण संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन के अधिकांश भाग का उत्पादन करते है और इसलिए वे नियमावली के आशय के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनते हैं।

5. मूल जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद एसीटोन है। एसीटोन एक आर्गेनिक रसायन है जिसे डायमिथाइल कीटोन के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग बल्क भेषजों, कृषि रसायन, रंजक सामग्री, कुछ विस्फोटक तथा डाउनस्ट्रीम रसायनों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। यह एक मूलभूत जैव रसायन है जिसका उत्पादन एकल ग्रेड में किया जाता है। यह रंगहीन द्रव है और इसमें ईथर जैसी सुगंध होती है। इसे कई आर्गेनिक सिंथेसिसों में विलायक अथवा एक मध्यवर्ती के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बल्क भेषजों, कृषि रसायन, रंजक सामग्री, कुछ विस्फोटक तथा डाउनस्ट्रीम रसायनों का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। एसीटोन का विशिष्ट प्रयोग आइसोफोरोन डायासीटोन, अल्कोहल, मिथायल मिथाक्राइलेट और बिस्फेनाल का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग कुछ रबड़ रसायनों अथवा आक्सी एसीथायलीन सेल्युलोज एसीटेट का विनिर्माण करने के लिए भी किया जाता है। आवेदकों ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं तथा आयातित वस्तुएं कुछ पैरामीटरों जैसे भौतिक एवं तकनीकी गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण,, वितरण एवं विपणना तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के रूप में समान वस्तुएं हैं। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण, इस जांच में विचाराधीन उत्पाद वही रहेगा जो मूल जांच में था।

6. आवेदकों द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार, एसीटोन को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के उपशीर्षक 29141100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

7. यतः, विधिवत प्रमाणित दायर आवेदनपत्र को ध्यान में रखते हुए तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बारे में प्रभावी पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता की जरूरत की समीक्षा करने तथा यह जांच करने के लिए कि क्या इस शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी या नहीं, एतद्द्वारा निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

शामिल देश

8. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश कोरिया आर.पी. है।

जांच की अवधि

9. वर्तमान समीक्षा के उद्देश्यों के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2012 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण के लिए वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12 और जांच की अवधि को भी शामिल किया जाएगा।

प्रक्रिया

10. इस समीक्षा में दिनांक 09 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 14/13/2006–डीजीएडी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम निष्कर्ष के सभी पहलू कवर होंगे।

11. इस समीक्षा में नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 तथा उसके अंतर्गत बने नियम यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

12. संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के निर्यातकों द्वारा तथा भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों द्वारा निर्धारित स्वरूप और ढंग में जांच की अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात की अवधि सहित क्षति अवधि के लिए सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है!

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए, भारत में संबद्ध उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली–110011

14. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अ–गोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

समय–सीमा

15. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) से अनधिक समय के भीतर पहुंच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी–अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने अथवा अन्यथा के संबंध में अपनी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

17. प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किए जाने के मामले में इसे दो अलग–अलग भागों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए : (क) गोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि) और (ख) दूसरा भाग अगोपनीय के रूप में चिन्हित (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठों की संख्या आदि)। उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' अथवा ''अगोपनीय'' लिखा जाना चाहिए।

18. किसी भी तरह के चिन्ह के बिना उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय समझी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे। गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां तथा अगोपनीय रूपांतरों की पांच (5) प्रतियां सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

19. गोपनीयता का दावा करने वाली सूचना के लिए, सूचना प्रदाता को प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वह सूचना प्रकट क्यों नही की जा सकती और/ अथवा उस सूचना का सारांश बनाना क्यो संभव नही है।

20. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रतिकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए/संक्षेप में बताया जाए। अगोपनीय सारांश गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण होना चाहिए जिससे उस विषय को समझा जा सके। फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है, निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए।

21. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के उपरांत प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता हेतु अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक

करने अथवा सामान्य अथवा सारांश रूप से इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

22. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में दिए गए कारण के ब्यौरे के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी रिकार्ड में नहीं लेंगे। प्राधिकारी, प्रदत्त सूचना से संतुष्ट होने और गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने पर, ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किए बिना, किसी भी पक्षकार के समक्ष इसे प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2013

Initiation

Subject: Sunset Review (SSR) Anti-dumping Investigation concerning imports of Acetone, originating in or exported from Korea RP.

F. No. 15/13/2013-DGAD:-WHEREAS having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had, in the original investigation, recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of "Acetone" (hereinafter refereed as the subject goods), originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as the subject country).

2. WHEREAS, in the original investigation the final finding notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/13/2006-DGAD dated 9th May, 2008, recommending imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 75/2008- Customs, dated 10th June, 2008.

3. Whereas, M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) has filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Korea RP and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

Domestic Industry

4. The application for the sunset review has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), on behalf of the domestic industry. The application is supported by M/s SI Group India Ltd. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

5. The product under consideration (PUC) in the original investigation as well as the present SSR investigation is Acetone. Acetone is an organic chemical also known as Dimethyl Ketone and used in the manufacture of bulk pharmaceuticals, agro chemicals, dye stuffs, certain explosives and downstream chemicals. It is a basic organic chemical produced in single grade. It is a colourless liquid with an agreeable ether-like odour. It is used in numerous organic synthesis either as solvent or as an intermediate. It is used in manufacture of bulk pharmaceuticals, agro-chemicals, dyestuffs, certain explosives and downstream chemicals. Acetone is specifically used in manufacture of Isophorone, Diacetone, Alcohol, Methyl Methacrylate and Bishphenol A. Besides this, it is used in manufacture of certain rubber chemicals or Oxy Acethylene Cellulose Acetate. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported product in terms of parameters such as physical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The present investigation being a sunset review, the product under consideration remains the same as in the original investigation.

6. As stated by the applicant, Acetone is classified under Chapter 29 of Custom Tariff Act under the sub-heading 29141100. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Initiation of Sunset Review

7. WHEREAS, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved

8. The country involved in this investigation is Korea RP.

Period of Investigation

9. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2012 to 31st December 2012 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2009-10, 2010-11, 2011-12 & the POI.

Procedure

10. The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No. 14/13/2006-DGAD dated 9th May, 2008.

11. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

12. The information for the injury period including the POI and the post-POI period is required to be submitted by the exporters of the subject goods, originating in or exported from the subject country and the importers of the subject goods in India, in the form and manner prescribed.

13. The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

15. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

16. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

17. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

18. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

19. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

23. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.